कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनशाली, मुख्यालय–घुमेटीधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT,
GHANSALI, HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

P.O. Pilkhi, Pin Code-249181
Website- http://pwd.uk.gov.in

Phone and Fax No. 01379-258327
E-Mail :-eepwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक :–2187/10 my

दिनांक–09/12/2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नई टिहरी, टिहरी गढवाल।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल में चमियाला–इन्द्रवाणगॉव–कांगड़ा मोटर मार्ग निर्गाण हेतु वनभूमि का गैर वानीकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्द्रनगर फोरेस्ट कॉलोनी, उत्राखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–565/FP/UK/Road/10467/2015 दिनांक 17.8.2015 एवं भारत सरकार प्रयावरण वन एवं जलवायु क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/58/2015/एफ0सी0/983 दिनांक 14.08.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करेगे जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त पत्र द्वारा कुछ शर्तो पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है सभी शर्तो की बिन्दुवार आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु निम्नवत है–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रस्तावित 9.394 है0 सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु वांछित धनराशि .रू0 14,77,676.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू 30,85,929.00 कुल धनराशि रू0 45,63,605.00 मात्र Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttranchal SB A/c 037100101025229 New Delhi Lodi Complex/Corporation Branch IFSC Code CORP0000371MICR Code 10017007, एवं Branch Code 000371 RTGS के द्वारा ई0–चेक के माध्यम से 17.10.2015 को जमा की जा चुकी है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र संलग्न) है। संलग्नक–1, पुनः क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि बढ़ी हुयी शेष धनराशि रूपये 4,89,108.00 (19,66,784.00–14,77,676.00=4,89,108.00) मात्र Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttranchal SB A/c 037100101025229 New Delhi Lodi Complex/Corporation Branch IFSC Code CORP0000371MICR Code 10017007, एवं Branch Code 000371 RTGS के द्वारा ई0–चेक के माध्यम से 08.12.2015 को जमा की जा चुकी है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र संलग्न) है।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिनित ग्राम चमियाला पट्टी केमर में सिविल सोयम भूमि कुला 39 खसरा नम्बर कुल रखवा 9.394 है0 भूमि वन विभाग को हस्तानान्तरण हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के पत्र संख्या–144/XXVI-28(2014–15) दिनांक नई टिहरी अक्टूबर,15 2015 द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। भूमि अंतरित कर ली गई है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र संलग्न) है। संलग्नक–2।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में NPV की धनराशि रू0 30,85,929.00 बिन्दु संख्या–1 के अनुसार वन विभाग के पक्ष में जमा किये जा चुके है।
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में डिमाण्ड नोट का नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया गया है। जिसके पश्चात ही उक्त धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गई है।

क्रमशः–2

D:Ashish Negi folder name 2015 EE and AE Latter Pad, Only Latter EE

शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के द्वारा NPV के दरों में बढोतरी की जाती है, तो बढी हुयी धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी।।

6. शर्त संख्या–6 का अनुपालन करते हुये उक्त धनराशि बिन्दु संख्या–1 के अनुसार RTGS के माध्यम से जमा कर दी गई है। जिसका ई0–चेक नम्बर CN42387327 दिनांक 17.10.2015 है। संलग्नं।

7'. शर्त संख्या–7 के सापेक्ष प्रमाणित किया जाता है कि जहाँ सम्भव होगा मोटर मार्ग के दोनो किनारों तथा Central Verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वनविभाग की देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

8. शर्त संख्या–8 के अनुसार मलवा निस्तरण योजना वनभूमि पर प्रभावित नहीं है।

भारत सरकार की उक्त सन्दर्भित पत्र के फेज संख्या–2 में दी गई शर्तो के अनुपालन में प्रमाणित किया जाताा है कि –

1. वनभूमि की विधिक प्रस्तिथि नहीं बदली जायेगी।
2. NPV की दरों में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दरों पर NPV जमा कर दी जोयगी।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.394 सिविल एवं सोयम भूमि वनविभाग के पक्ष में नामांत्रित/हस्तानान्तरित किया जा चुका है एवं वनविभाग को 6 माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित एवं संरक्षित वन घोषित करने हेतु रू0 14,77,676.00 मात्र रूपये वनविभाग के पक्ष में जमा किये जा चुके है।
4.. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों एवं स्टाफ क लिये लेवर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5 निर्माण कार्य के दौरान श्रमिकों को रसोई गैस/केरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
6. प्रयोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौंरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जायेगी।
7. वनविभाग का प्रयोग प्रस्ताव. में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
8. मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 283 से अधिक नहीं होगी।
9. प्रयोक्ता विभाग द्वारा वनविभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC पिल्लर लगा कर सिमांकन किया जायेगा, जिस पर Forward तथा Back bearing भी अंकित की जायेगी।
10. प्रयोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अनयत्र मलवा कहीं नही फेंका जायेगा।
11. सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायाल आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर वर्तमान में लागू नहीं होते है, भविष्य में आवश्यकतानुसार अनुमति ले ली जायेगी।

अतः उक्त पत्रों में दी गई सभी शर्तो का अनुपाल कर दिया गया है, अनुपालन आख्या के उपरान्त इस अनुरोध के साथ की उक्त मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृत प्रदान करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0, धनराली,
मुख्यालय–घुगेटीधार

क्रमशः–3

ांक 2187 /10mg तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ प्रेषित।

3. अधीक्षण अभियन्ता 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 नई टिरही को सूचनार्थ प्रेषित।

4. सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. श्री नत्थी सिंह राणा, अमीन, अ0ख0, लो0नि0वि0 घनसाली को सूचनार्थ प्रेषित।

Recd
09/XII/15

Ok
9/12/15
प्रभारी अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0, घनसाली,
मुख्यालय–घुगेटीधार